को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र हस्तगत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 09 नियम 07 व 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विहित परिसीमा अधिनियम, 1963 के 'तीसरा खण्ड-आवेदन' के भाग 1-विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त कराने के लिए या एक पक्षीय डिक्री या सुनी गई अपील की फिर से सुनवाई के लिए डिक्री की तारीख या जहाँ कि समन या सूचना की सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई थी, वहाँ जब डिक्री का ज्ञान आवेदक को हुआ से तीस दिन निर्धारित है से बाधित होनें से तथा तकनीकी एवं गुणावगुण दोनों आधारों पर भली-भांति साबित न होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि राजस्व वाद संख्या 18/2016 अनवान ओमप्रकाश बनाम लीलादेवी वगैरह में दिनांक 16.05.2016 को पारित ए मय आदेश व प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 31.08.2016 को पारित ए कपक्षीय कार्यवाही कपक्षीय आदेश व अंतिम डिक्री के संबंध में प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा दिनांक 13.03.2023 को प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र हस्तगत प्रार्थनापत्र, धारा 05 परिसीमा अधिनियम के खारिज/अस्वीकार करनें से उक्त प्रार्थनापत्र कानूनन रूप पोषणीय नहीं होने से उक्त प्रार्थनापत्रों को खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

## -:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 02 अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 दिनांक 16.08.2022 भलीभांति साबित नहीं होने और सारहीन होने खारिज/अस्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत प्रार्थनापत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसुची के भाग एक-विनिर्दिष्टि मामलों के आवेदन में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करनें की विहित परिसीमा अधिनियम, 1963 'तीसरा खण्ड-आवेदन' के भाग 1-विनिर्दिष्ट मामलों में अनुच्छेद 123 के अनुसार *''आवेदन के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त कराने के लिए या एक पक्षीय डिक्री या सुनी गई अपील की फिर से सुनवाई के लिए डिक्री की तारीख या जहाँ कि समन या सूचना की सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई थी, वहाँ जब डिक्री का ज्ञान आवेदक को हुआ से तीस दिन निर्धारित है''* से बाधित होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं साथ ही इसके फलस्वरूप प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 02 का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रियां संहिता तथा दिनांक 13.03.2023 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कानूनन रूप पोषणीय नहीं होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 19/12/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला ब्यावर)